न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/55

मिसल नम्बर– 14 / 2023

1.श्रीमति रामबेटी पत्नी कप्तान सिंह आयु 65 वर्ष

2.कप्तान सिंह पुत्र श्री राम शर्मा आयु 70 साल जाति खाती ब्राहम्ण निवासीगण म.नं. 2 पूनम कोलोनी गली नं 6 कोटा पिन 324002

प्रार्थी।

बनाम

1.विनोद शर्मा पुत्र कप्तान सिंह आयु 45 साल

2.श्रीमती सरिता शर्मा पत्नी विनोद शर्मा आयु 40 वर्ष जाति खाती ब्राहम्ण निवासीगण म.नं. 2 पूनम कोलोनी गली नं 6 कोटा पिन 324002

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 3/4/25

उपस्थितिः–

1.श्री राजकुमार पाल अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री तोफिक अहमद, श्री प्रभूदयाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वैधानिक रूप से पति पत्नी है, तथा प्रार्थी क्रम 2 रेलवे से रिटायर है ओर प्रार्थीगण बुजुर्ग सिनियर सिटीजन है। तथा पूर्व में अपने स्वअर्जित आय से निर्मित मकान वाकै पूनम कोलोनी गली नं 6 कोटा में निवास करते थे। प्रार्थीगण के दो पुत्र व पांच पुत्रिया है,जिसमे दो पुत्रो की शादी कर दी एवं चार लडकीयो की शादी कर दी है, जिसमे एक पुत्री आरती आयु 36 वर्ष है, जिसका तलाक हो जाने से तथा एक पुत्री अविवाहित है, जो प्रार्थीगण के पास ही रहती है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण पुत्र व पुत्रवधु है,जो प्रार्थीगण के मकान 2 गली नं 6 पूनम कोलोनी कोटा जं0 ही निवास करते है, जिनका आचरण व्यवहार प्रार्थीगण के प्रति आरंभ से ही अच्छा नही रहा है,यह लोग प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते,मारपीट करने पर आमादा हो जाते ओर प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने की धमकीया देते ओर प्रार्थीगण की झूठी रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज करवा देते है,तथा प्रार्थीगण को मानसिंक शारीरिक रू॰ से प्रताडित करते यातनाऐ देते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की तलाकशुदा पुत्री व अविवाहित पुत्री के लिए भी अपशब्दो का प्रयोग कर कहते कि प्रार्थीगण जब मर जायेगे तब हम तुम्हारी वो हालत कर देगे कि तुम सडक पर कटोरा लेकर भीख मांगोगी ओर सड़क पर ही मर जाओगी ओर ताने मारते कि बैठी बेठी निठठली होकर घर पर खा रही है, जिस पर प्रार्थीगण मना करते कि बहनो के लिए ऐसा क्यो कहते हो, उनका साथ देने व सहारा देने की बजाये उनको अपमानित करते हो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

। यह लोग प्रार्थीगण के साथ भी गाली गलोच करते व मारपीट करने पर आमादा फसाद हो जाते तथा प्रार्थीगण को भी मकान से बेदखल करने की धमकीया देते। तथा अप्रार्थीगण ने एक बार तो प्रार्थीगण को जान से मारने की नियत से किंचन में गैस सिलेण्डर का रेगूलेटर चालू कर गैस स्टोव का बटन चालू कर दिया ओर स्वयं बाहर निकल गये जिससे गैस का घर मे रिसाव होने लगा बदबू आने से प्रार्थीगण व उनकी पुत्रीया ने घर से बाहर निकलकर जान बचाई,.लेकिन अप्रार्थीगण इस पर कहने लगे कि आज तो बच गये लेकिन हम तुम्हे छोडेगे नही। यह गैस हमने ही तुम्हे मारने के लिए खोला था। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उनके स्वअर्जित आय स्वामित्व वाले मकान से सितम्बर 2022 में लडाई झगडा कर मारपीट कर मात्र पहने हुए कपडो से ही घर से निकाल दिया है,ओर तब से प्रार्थीगण मजबूर होकर अपनी दोनो पुत्रीयो को लेकर श्रीनाथ रेजीडेन्स कोटा जं. स्थित मे किराये का परिसर लेकर निवास कर रहे है,वहां पर भी अप्रार्थीगण आकर प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते है,ओर धमकीया देते है कि तुम्हारे मकान का पानी बिजली का बिल भरो प्रार्थीगण की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर, प्रार्थीगण के उक्त मकान पर अप्रार्थीगण ने किरायेदार भी रख दिये है,ओर उसका किराया भी अप्रार्थीगण ही प्राप्त कर लेते है, जबकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 1 को अमृत कलश मे एक दुकान 26 बाई 10 वर्गफुट कीमतन 8 लाख की दिलायी उक्त दुकान प्रार्थी कम 2 के नाम पर है, जो भी अप्रार्थीगण ने हड़प कर लिये,ओर एक फर्नीचर बनाने की मशीन व वाहन टू व्हीलर भी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिलाया ताकि अप्रार्थीगण अपना व्यवसाय करके गुजर बसर कर सके,लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण का आचरण व्यवहार,प्रार्थीगण के प्रति बिलकुल रूखा रहा, असहनीय रहा तथा एक बार तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम 2 के विरूद्ध झूठी बलात्कार की रिपोर्ट थाना रेलवे कोलोनी कोटा में पूर्व मे दर्ज करा दी थी जिस पर पुलिस थानाधिकारी ने अप्रार्थीगण को डांटा जिस पर इनके द्वारा कार्यवाही खत्म करा ली गयी.ओर अप्रार्थीगण यह कहते है कि हम् तुम्हे कोटा शहर में निवास नही करने देगे तुम लोग अपनी दोनो पुत्रीयो को लेकर कोटा से अन्यत्र स्थान पर चले जाओ नही तो हम तुम्हे जान से खत्म कर देगे, इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अपने उक्त स्वअर्जित आय वाले मकान मे नही रखना चाहते है,बेदखल करना चाहते है, ताकि प्रार्थीगण अपनी दोनो पुत्रीययो सहित शांती पूर्वक अपने मकान में निवास कर सके। तथा प्रार्थीगण उक्त दुकान को भी अप्रार्थीगण से प्राप्त करना चाहते है, उनको दुकान से बेदखल करना चाहते है, ओर बचा हुआ जीवन शांति से जी सके। जबकि प्रार्थीगण का दुसरा पुत्र प्रार्थीगण की सेवा सुश्रषा करता है,आदर करता है। ओर अपनी बहनो को भी मानता है,उनकी भी देखभाल करता है, सहारा देता है। हारी बीमारी में प्रार्थीगण की सेवा करता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को पुनम कोलोनी कोटा जं0 मे ही पृथक से एक मकान अपने व अपने परिवार के रिहायश हेतु दिला रखा है, लेकिन अप्रार्थीगण उक्त मकान मे निवास नही करते है,उक्त मकान को उनके द्वारा किराये पर देकर किराया प्राप्त किया जा रहा है,ओर बदनियती पूर्वक प्रार्थीगण के मकान को हडपने की गरज से प्रार्थीगण के मकान मे निवास करते है,ओर प्रार्थीया को प्रताडित कर उनके मकान से निकाल दिया है.ओर प्रार्थीगण के मकान मे भी किरायेदार रखकर किराया प्राप्त कर रहे है,ओर बिजली का बिल प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण से लडाई झगडा करते है,इसलिए प्राथीगण अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान में नही रखना चाहते है, बेदखल करना चाहते है,इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के मकान वाके म0नं0 2 पूनम कॉलोनी गली नं0 6 कोटा जं0 स्थित से तथा दुकान से अप्रार्थीगण को बेदखल कर रिक्त कब्जा मकान पर प्रार्थीगण को दिलाया जाये, तथा अप्रार्थीगण को उनके कृत्य के लिए दंडित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना–पत्र में पति–पत्नी होना, रेल्वे से रिटायर सीनियर सीटीजन होना स्वीकार है, शेष जिस प्रकार से लिखी है, अस्वीकार है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि प्रतिपक्षी क्रम–1, प्रार्थीगण का बडा बेटा है। तथा जब से होश संभाला व कमाने लगा, तब से प्रतिपक्षी क्रम–1 अपने माता–पिता व परिवार का पूर्ण सहयोग प्रदान करता रहा है तथा मकान निर्मित में भी प्रतिपक्षी क्रम–1 ने पूर्ण सहयोग किया है, इस प्रकार यह कहना कि स्वअर्जित आय से निर्मित मकान सरासर बेमानी है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पुत्र व पुत्रवधु होना स्वीकार है। अप्रार्थीगण पूनम कॉलोनी कोटा वाले मकान में शुरू से ही निवास कर रहा है, प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के साथ कोई गलत आचरण या व्यवहार नही किया है, बल्कि हर समय प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण ने पूर्ण सहयोग किया है और अपने बड़े पुत्र होने का फर्ज अदा किया है तथा आज भी बड़े बेटे होने का फर्ज अदा करता चला आ रहा है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने पुत्रो के बहकावे में आकर प्रतिपक्षीगण को परेशान करने की गरज से यह झूंठी कार्यवाही की है, जबकि आज भी प्रतिपक्षीगण, प्रार्थगण को पूर्ण सम्मान देता है तथा उनकी पुत्रियो को तीज त्यौहार पर मान सम्मान देता है ओर बुलाता है। अप्रार्थीगण द्वारा इस तरह का व्यवहार कभी भी प्रार्थीगण व अपनी बहनो के साथ नही किया है, बल्कि बहन बेटी का व्यवहार आज भी अप्रार्थीगण के साथ है और निरन्तर अप्रार्थीगण के यहां आ जा रही है और अप्रार्थीगण भी उनको सम्मान व आदर देते है और उनको कपडे आदि देते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण ने कभी भी अपने माता–पिता व बहनो को अपमानित नही किया है, ना ही कोई अपशब्द कहे है, बल्कि अपने बड़े बेटे होने का फर्ज अदा किया है और आज भी करता चला आ रहा है, और अप्राथी संख्या–1 के बड़े बेटे होने के कारण आज भी त्याग करता चला आ रहा है, अप्रार्थगण ने कभी भी कोई दुर्व्यवहार नही किया, ना जान से मारने के प्रयास किये है, ना ही कभी गैस चालू करके छोड़ा गया है, प्रार्थीगण की यह बनी बनाई कहानी है, जो कि प्रार्थीगण द्वारा दूसरे पुत्रो के बहकावे व भडकाने के आधार पर आरोप लगाये जा रहे है। यहां यह लिखना आवश्यक है कि प्राथीगण के दो पुत्र व पांच पुत्रियां है, तथा प्रार्थीगण के कुल चार मकान है, जिसमें से एक मकान में अप्रार्थीगण निवास कर रहे है तथा एक मकान पूनम कॉलोनी गली नम्बर–9 कोटा वाला मकान को छोटे पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा के नाम से कर दिया है, इसके अलावा पूनम कॉलोनी में अर्पन कॉलोनी सिल्वर बेल स्कूल के सामने कोटा वाला मकान अपनी पुत्री पूजा के नाम कर दिया है, जिस पर प्रार्थीगण के छोटे पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और स्वयं के नाम किये मकान को किराये से दे रखा है, और एक बडा मकान श्रीनाथ रेजीडेन्सी में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण विगत एक वर्ष से निवास करते चले आ रहे है, इस प्रकार विवादित मकान जो कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के नाम से बंटवारे में मौखिक रूप से दे दिया गया था, जिस बाबत थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा में भी एक तहरीर लिखावट प्रार्थीगण के पक्ष में लिखकर दी थी कि उक्त मकान अप्रार्थीगण का है और इनको उक्त मकान से कभी नही निकालूंगा, परन्तु बदनियती पूर्वक अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से यह कार्यवाही संस्थित की है, जो खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कभी घर से नही निकाला है, ना कभी कोई मारपीट या बदतमिजी की है, बल्कि प्रार्थीगण स्वयं ही अपनी स्वेच्छा से उक्त मकान को प्राथीगण ने अप्रार्थीगण के नाम कर बंटवारे में देकर अन्यत्र मकान श्रीनाथ रेजीड़ेसी में विगत एक साल से अपनी स्वेच्छा से निवास करते चले आ रहे है, इस प्रकार प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की बदतमिजी, लडाई–झगडा, या मारपीट करने का कतई प्रश्न ही पैदा नही होता है, क्योकि प्रार्थीगण विगत एक वर्ष से पृथक निवास कर रहे है तथा इस अवधि में अप्रार्थीगण, कभी भी प्रार्थीगण के पास नही गये है। तथाकथित दुकान जो प्रार्थिगण ने

उपखण्ड अधिकारी
को

अपनी स्वेच्छा से अप्रार्थी संख्या–1 के नाम से की है, तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण सदैव आदर सम्मान किया है और आज भी करते है, कभी कोई गलत आचरण या व्यवहार नही किया है, ना ही अप्रार्थीगण ने कभी प्रार्थीगण के खिलाफ कोई बलात्कार आदि की रिपोर्ट ही दर्ज करवाई गयी है, ना ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थिगण को अपनी पुत्रियो सहित अन्यत्र जाने के लिए कहा गया है, बल्कि प्रार्थीगण स्वयं ही सम्पन्न होने के कारण अन्यत्र मकान लेकर अप्रार्थीगण से अपनी स्वेच्छा से पृथक निवास करते चले आ रहे है। प्राथी संख्या–1 रेल्वे विभाग से सेवानिवृत है, जो कि पेंशनधारी है, जिससे प्रार्थीगण आराम से जीवन व्यतीत कर रहे है। जिस मकान की प्रार्थीगण बात कर रही है, वह मकान बंटवारे में मौखिक रूप से व पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दिया जा चुका है, जिसमें अप्रार्थीगण शांतीपूर्वक निवास करते हुए जीवन यापन कर रहे है, परन्तु प्रार्थीगण के मन में बेईमानी व बदनियती आ जाने के कारण अप्रार्थीगण से वापस मकान पर कब्जा करना चाहते है, जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ने अपनी स्वेच्छा से ही उक्त वादग्रस्त मकान को दिया हुआ है, जो मकान किराये से दिया है, प्रार्थीगण के छोटे पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा दिया हुआ है, तथा प्रमोद कुमार शर्मा को बंटवारे में एक मकान देने के बावजूद भी उसने प्रार्थीगण की पुत्री पूजा के नाम किये मकान पर जबरदस्ती कब्जा करके उसमें निवास कर रहा है और अपने बंटवारे वाले मकान को किराये से दिया हुआ है, परन्तु प्रार्थीगण ने प्रमोद कुमार शर्मा के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की, जबकि प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थीगण के साथ मारपीट तक भी की गयी है, फिर भी कोई कार्यवाही नही की, और अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से झूंठे तथ्यो के आधार पर यह कार्यवाही की है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण सम्पन्न व्यक्ति है तथा रेल्वे विभाग से रिटायर है तथा प्रार्थीगण स्वतन्त्र ख्यालो वाले व्यक्ति है, जो कि अपने पुत्रो से अलग रहकर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहते है, इसी आशय से प्रार्थीगण स्वयं ही अपनी इच्छा से अप्रार्थीगण से अलग होकर अलग पृथक मकान में स्वतन्त्र जीवन विगत 1 वर्ष से भी अधिक समय से व्यतीत करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने बडे बेटे होने का पूरा फर्ज अदा किया है और आज भी करता चला आ रहा है, अप्रार्थी संख्या–1 बड़ा बेटा होनें के कारण जब से होश संभाला तब से प्राईवेट कार्य करके अपनी आजीविका चलाता रहा है। और प्रार्थीगण की समय–समय पर अपनी हैसियत के अनुसार मदद करता रहा है तथा आज भी अपनी बहनो व माता –पिता को पूरा सम्मान व तवज्जो देता है समय–समय पर कपड़ा लत्ता देता है और तीज त्यौहार पर बुलाता है, इस बात की पुष्टि स्वयं अप्रार्थीगण की बहनो से की जा सकती है। यहां यह लिखना भी आवश्यक है कि जब प्राथ्थीगण द्वारा छोटी बहनो की शादी की थी, तो उसमें भी अप्रार्थीगण के द्वारा पैसा दिया गया था तथा जब छोटे भाई प्रमोद शर्मा की शादी हुई तब भी अप्रार्थीगण ने छोटे भाई की शादी में भी पैसा दिया था। प्रार्थीगण द्वारा शुरू से ही अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा अपने बडे बेटे का फर्ज अदा करने के बावजूद भी प्रार्थीगण का व्यवहार शुरू से ही अप्रार्थीगण के साथ ठीक नही रहा और प्रार्थी क्रम–1 की अप्रार्थी क्रम–1 की पत्नी अप्रार्थीया क्रम–2 के ऊपर बुरी नजर रही है और कई बार प्रार्थी क्रम–1 ने अप्रार्थीया क्रम–2 साथ मौका पाकर छेडछाड तक की है और उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया है, जिसकी रिपोर्ट भी अप्रार्थिया ने पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा में की गयी, जो जैर अनुसंधान है। उससे रूष्ट होकर ही प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थगण के विरूद्ध यह झूंठा प्रकरण पेश किया है। अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है तथा इस मंहगाई के जमाने में दैनिक मजदूरी करके अपना व अपने बच्चो का बमुश्किल जीवन यापन करता चला आ रहा है, परन्तु प्रार्थीगण द्वेष भावना के कारण अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की गरज से उक्त मकान से जबरन बेदखल करने पर आमदा है, ताकि अप्रार्थिगण व उनके बच्चे दर–दर की ठोखरे खा सके, और अप्रार्थिगण बेघर बार हो सके, जिसके कारण प्रार्थिगण की इच्छापूर्ति हो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.[illegible]

सके। इसी आशय से प्रार्थीगण ने दुर्भावना से व बहकावे में आकर अप्रार्थीगण के ऊपर यह कार्यवाही संस्थित की है, जबकि प्रार्थीगण आराम से जीवन व्यतीत कर रहे है और प्रार्थीगण के पास् अपने रहने के लिए एक बडा मकान श्रीनाथ रेजीडेन्सी में 25 गुणा 40 वर्गफीट का कम्पलीट मकान में निवास कर रहे है। इस कारण से वादग्रस्त मकान की प्रार्थीगण को कोई भी सदभाविक यतार्थ में आवश्यकता नही है, केवल मात्र अप्रार्थगण को बेदखल करने व परेशान करने की गरज से यह कार्यवाही की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से द्वेष भावना रखते आए है और अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने की गरज से अप्रार्थगण के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट व झूंठी कार्यवाहियां करके परेशान करवाते रहते है, इस आशय से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह झूंठी कार्यवाही संस्थित की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश कार्यवाही को अप्रार्थीगण के विरूद्ध सव्यय निरस्त फरमाने की कृपा करे।

दौरानें बहस उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थीगण के कुल चार मकान है, जिसमें से एक मकान में अप्रार्थीगण निवास कर रहे है तथा एक मकान पूनम कॉलोनी गली नम्बर–9 कोटा वाला मकान को छोटे पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा के नाम से कर दिया है, इसके अलावा पूनम कॉलोनी में अर्पन कॉलोनी सिल्वर बेल स्कूल के सामने कोटा वाला मकान अपनी पुत्री पूजा के नाम कर दिया है, और एक बडा मकान श्रीनाथ रेजीडेन्सी में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण विगत एक वर्ष से निवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण के उक्त कथन का प्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नही दिया गया है और ना ही प्रार्थीगण की और से अपनी बहस में उक्त कथन का बलपूर्वक खण्डन किया गया है। जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होने से अप्रार्थीगण के उक्त कथन उचित प्रतीत होते है कि प्रार्थीगण अपने स्वयं के मकान में निवास कर रहे है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 3/4/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कोटा
कोटा